P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-IV* ISSUE-IV*December-2016
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

विधि विवादित किशोर : स्थिति, कारण एवं उपचार

श्रमवीर सिंह कुशवाह
वरिष्ठ प्रवक्ता,
समाजशास्त्र विभाग
आर0बी0एस0 कॉलेज,
आगरा

सारांश

विधि विवादित किशोरों की समस्या एक जटिल समस्या है। किशारों की मानसिक विकास एवं परिपक्वता की स्थिति को देखते हुए उनके प्रति सहानुभूति भी रखी जाती है। भारत में विधि विवादित किशोरों की देखभाल, संरक्षण, पुनर्एकीकरण प्रशिक्षण एवं सुधार हेतु अनेक प्रयास किए गए है। समय–समय पर कई अधिनियमों को भी पारित किया गया है। बढ़ते नगरीकरण, औद्योगीकरण, पारिवारिक विघटन, बढ़ती जनसंख्या, मनोरंजन की अपर्याप्ता जैसे अनेक कारण है, जिनकी वजह से किशोरों में अपराध की ओर जाने की प्रवृत्ति हो जाती है। वर्तमान में किशोरों के विरुद्ध छोटे–मोटे अपराधों से लेकर हत्या, अपहरण, बलात्कार जैसे मामले भी पंजीकृत हुए है। लेकिन सुधार की गुंजाइश प्रायः रहती है। सुधारात्मक संस्थाओं एवं अन्य विधियों द्वारा यदि इन्हें उचित तरीके से उपचारित किया जाए तो इनकी मानसिकता को बदला जा सकता है।

मुख्य शब्द :अपराध, दण्ड, अपचारिता, विधि विवादित किशोर, जघन्य, औद्योगीकरण,नगरीकरण, मनोदशा, मानसिकहीनता, सामुदायिक वातावरण, सुधार, पुनर्वास।

प्रस्तावना

वर्तमान में बाल अपचारिता या किशोर आपराधिता एक गंभीर समस्या बनी हुई है। किशोर आपराधिता से संबंधित ऑकड़े बड़ी ही चिंताजनक स्थिति को व्यक्त कर रहे है। बालक देश का भविष्य होते है। यदि किशोर किशोरावस्था में ही भटक गए तो देश कहां जाएगा यह सोचा जा सकता है। युवाओं में जोश होता है पर कई बार अविवेकहीन निर्णयों या मानसिक अपरिपक्वता के कारण ये अपराध कर बैठते हैं। कई बार वे आपराधिक क्रियाओं के परिणामों को भी नहीं समझ पाते। अतः इनके उचित देखभाल की महती आवश्यकता है। वर्तमान में दुनिया भर में इस दिशा में कई कदम उठाए जा रहे हैं।

प्राचीनकाल से ही अपराधो को समाज के लिए अनुचित एवं अवांछनीय माना जाता है। अपराध को नियंत्रित एवं विलोपित करने के लिए दण्ड की व्यवस्था सदा से रही है। पी0 के0 सेन ने अपनी पुस्तक 'पीनोलॉजी : ओल्ड एंड न्यू' में लिखा है कि ''प्राचीन दण्ड–व्यवस्था में अपराधियों को दण्ड देते वक्त उनकी आयु, लिंग अथवा परिस्थितिथियों पर विचार किए बिना दण्ड की व्यवस्था रही है।''[1] इसका तात्पर्य है कि प्राचीन दण्ड व्यवस्था में बालकों के लिए अलग से कोई व्यवस्था नहीं होती थी। लेकिन धीरे–धीरे इस दिशा में परिवर्तन आए।

किशोर अपराधियों के प्रति सुधारात्मक तरीके अपनाये जाने के प्रयास अठारवीं सदी के उत्तरार्ध में प्रारम्भ हुए। इससे पहले अपराधियों एवं किशोर अपराधियों को एक साथ ही रखा जाता था। उनके क्रत्यों पर विचार भी वयस्क अभियुक्तों के समान ही होते थे। किशोर अपराधियों एवं वयस्क अपराधियों को एक साथ रखे जाने से स्वयं किशोर एवं बाल अपराधी लैंगिक एवं दूसरे अपराधों के शिकार हो जाते एवं दूषित वातावरण की वजह से उनमें आपराधिता की भी वृद्धि हो जाती। कई किशोर कारावास से निकलने के पश्चात् कई प्रकार के अपराध करने लगते।[2] वर्ष 1772 में बाल एवं किशोर अवस्था में व्यक्तियों को व्यावहारिक विधि में इच्छा पत्र, इच्छापत्र–प्रमाण तथा दान आदि से संबंधित कुछ सुविधाएं दी गई। इग्लैंड के चान्सरी न्यायालय ने अपने साम्यिक क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत अवयस्कों की सम्पदा के संरक्षण के संबन्ध में कुछ सुविधाएं प्रदान की। ये लोग अवयस्कता के कारण अपनी सम्पदा एवं स्वत्वों की रक्षा करने के पूर्ण समर्थ नहीं थे। बाद में अवयस्क व्यक्तियों को भी इसी प्रकार की सुविधाएं आपराधिक विधि में प्रदान की गयी।[3]

वर्तमान में विश्व के प्रायः सभी देशों में एक निश्चित आयु से कम व्यक्तियों को दण्डित करने के प्रति उदारता एवं विशेष तरीका अपनाया जाता

है। लेकिन अवयस्कता की उम्र के संबन्ध में कई मतभेद हैं। इराक, लेबनान तथा सीरिया में 15 वर्ष, फिलिपाइन्स लंका, वर्मा (म्यांमार) तथा इंग्लैंड में 16 वर्ष, ईरान, जोर्डन, सउदी अरब तथा थाईलैंड में 18 वर्ष तथा जापान में 20 वर्ष है।[4] भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दण्ड संहिता की धारा 82 एवं 83 तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 27 एवं 360 में अवयस्कता संबंधी व्यवस्था की गयी है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 82 के अनुसार सात वर्ष से कम आयु के बालक पर आपराधिकदायित्व अधिरोपित नहीं किये जा सकते जबकि सात से बारह वर्ष तक के बच्चों को तभी दण्डित किया जा सकता है यदि यह सिद्ध को जाए कि उन्हे अपने कृत्यों के परिणामों के बारे में समझने की क्षमता एवं मानसिक परिपक्वता है।[5]

उद्देश्य

विधि विवादित किशोरों की स्थिति, कारणों एवं उपचारों का अध्ययन करना।

बाल अपचारिता या विधि विवादित बालक की अवधारणा

अपचारिता शब्द को अंग्रेजी भाषा के डेलीनक्वेंसी (Delinquency) के समकक्ष रखा जाता है। डेलिन्क्वेंसी (Delinquency) शब्द लैटिन भाषा के डेलिनक्वेर (Delinquer) से बना हुआ है। जिसका अर्थ होता है विलोप करना। रोमनकाल में इस शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जो सोंपे गये कार्य या कर्तव्यों को करने में असमर्थ रहते थे। Delinquent शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सन् 1484 में विलियम कॉक्सन द्वारा किया गया था। प्रसिद्ध लेखक शेक्सपियर ने सन् 1605 में अपनी कृति 'मेकबेक' में इस शब्द का प्रयोग किया था।[6]

आमतौर पर कानून के द्वारा ही अपचारी अल्प वयस्कता को निर्धारित किया जाता है। किसी निर्धारित आयु के बालक के लिए विधि द्वारा निषिद्ध कार्य करना किशोर अपचारिता है और यदि न्यायालय यह अभिनिर्धारित करता है कि किसी बालक ने कानून द्वारा निषिद्ध कार्य को किया है तो वह किशोर अपचारी है।[7] वर्ष 1960 में लन्दन में 'अपराध का निवारण और अपराधियों का उपचार' नामक विषय पर द्वितीय यूनाइटेड नेशन्स कांग्रेस की बैठक हुई जिसमें यह निर्धारित किया गया कि किशोर अपचारिता का अनावश्यक प्रसार नहीं किया जाना चाहिए। इसके अन्तर्गत यह भी अनुशंसा की गई कि जहाँ तक सम्भव हो किशोर अपचारिता को केवल दण्ड विधि के अतिलंधन तक ही सीमित रखना चाहिए और छोटी मोटी अनियमितताओं पर बालकों को दण्डित करने हेतु विशेष अपराधों का सृजन नहीं किया जाना चाहिए।[8] भारत में प्राचीन संस्कृति के प्रभाव अथवा अन्य कारणों से बाल–अपराधियों की समस्या उतनी गंभीर नहीं रही जितनी पाश्चात्य देशों में। बाल अधिनियम 1960 के अन्तर्गत वह बालक अपराधी है जो किसी अपराध का दोषी पाया गया है। इस अधिनियम के अन्तर्गत बालक से अभिप्राय 16 वर्ष से कम आयु के लड़कों और 18 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं से है। अपराध का तात्पर्य तत्कालीन अपराध विधि के उल्लंघन से है।[9] बाल अधिनियम, 1960 के क्रियान्वयन में यह निष्कर्ष निकाला गया कि उपक्षित एवं अभित्यक्त बालकों की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। साथ में यह भी अनुभव किया गया कि वयस्क अपराधियों पर लागू आपराधिक न्याय व्यवस्था न्याय की दृष्टि से उचित नहीं है। साथ में इस बात की आवश्यकता भी महसूस की गई कि समान किशोर न्याय व्यवस्था देशभर में लागू की जानी चाहिए। किशोरों की देखरेख, संरक्षता, उपचार, विकास और पुनर्वास में अनौपचारिक पद्धति को प्राथमिकता देते हुए उसे सामुदायिक कल्याण संस्थाओं पर आधारित किया जाए। फलस्वरूप सन् 1986 में बाल अधिनियम, 1960 के स्थान पर किशोरों संबन्धी प्रावधानों के साथ–साथ उपेक्षित और अभित्यक्त किशोरों की देख–रेख और संरक्षरण के लिए भी उचित व्यवस्था की गयी थी।[10] इस अधिनियम के अंतर्गत 'बालक' शब्द की परिभाषा सोलह वर्ष से कम लड़के या अठारह वर्ष से कम लड़की के रूप में की गई।[11] भारतीय संविधान के कई प्रावधान जैसे अनुच्छेद 15 के खण्ड (3), अनुच्छेद 39 के खण्ड (e) एवं (f) अनुच्छेद 45 एवं 47 भी राज्य पर यह दायित्व डालते है कि वह किशोरों की सभी आवश्यकताओं को पूरी करना सुनिश्चित करे एवं उनके सभी मानवधिकार सुरक्षित रखे। संयुक्त राष्ट्र संघ की सामान्य सभा की 20 नवम्बर, 1989 की कन्वैंशन, संयुक्त राष्ट्र मानक नियम वास्ते बाल न्याय प्रशासन, 1985 (बीजिंग रूल्स), संयुक्त राष्ट्र संघ स्वतंत्रता से वंचित बाल अपराधी नियम, 1990 तथा अन्य संबंधित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने उक्त किशोर न्याय अधिनियम, 1986 को पुनः विधायन करके किशोर न्याय (किशोरो की देखभाल एवं सुरक्षा) अधिनियम, 2000 (The Juvenile Justice (care and protection of children) Act, 2000) पारित किया। इस अधिनियम की धारा 2k के तहत् जुवैनाइल या किशोर से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जिसने आयु के 18 वर्ष पूरे नहीं किये हैं एवं धारा 2 (l) के अनुसार विधि विवादित किशोर (Juvenile in conflict with law) का अभिप्राय ऐसे किशोर से है जिस पर कोई अपराध कारित करने का अभियोग है।[12]

किशोर न्याय (बालक देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015, 15 जनवरी 2016 से लागू कर दिया गया। इसके साथ ही किशोर न्याय (बालक देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 निरस्त हो गया। किशोर न्याय (बालक देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 को 7 मई 2015 को लोकसभा द्वारा और 22 दिसंबर 2015 को राज्य सभा द्वारा पारित कर दिया गया। इसके पश्चात् 31 दिसंबर 2015 को राष्ट्रपति जी द्वारा अनुमति प्रदान कर दी गई। इस अधिनियम की प्रमुख बातें निम्नवत् हैं।

1. इसका विस्तार जम्मू–कश्मीर राज्य के अलावा पूरा भारत है।
2. यह अधिनियम जघन्य अपराधों से जुड़े मामलों में 16 से 18 वर्ष की आयु के बीच बालकों के ऊपर वयस्कों के समान मुकदमा चलाने की अनुमति प्रदान करता है। साथ ही 16 से 18 वर्ष की आयु वाले बालक ने यदि कम जघन्य अपराध किया है और यदि उसे 21 वर्ष की आयु के पश्चात् पकड़ा गया हो तो उस पर वयस्कों के समान मुकदमा चलाया जा सकता है।
3. प्रत्येक जिले मे किशोर न्याय बोर्ड, बाल कल्याण समिति का गठन किया जाएगा।

4. किशोर बोर्ड एक प्रारम्भिक जांच के बाद यह निर्धारित करेगा कि किशोर अपराधी को पुनर्वास के लिए भेजा जाए या वयस्क के रूप में मुकदमा चलाया जाए।
5. बाल कल्याण समिति देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों के लिए संस्थागत देखभाल का निर्धारित करेगी।

भारत में विधि विवादित बालकों की स्थिति

विधि विवादित बालक उसे माना जाता है जो अठारह वर्ष से कम आयु का हो और जो किसी अपराध का अभियुक्त या जिस पर शक हो और इस कारण से न्याय व्यवस्था के अंतर्गत विचारणीय हों। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर विधि विवादित बालकों के आंकड़ों को भी एकत्रित करता है।

किशोरो के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत दर्ज प्रकरण

नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, क्राइम इन इंडिया–2015 के अनुसार भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत वर्ष 2015 में कुल 2949400 प्रकरण दर्ज हुए जिनमें 31396 प्रकरण किशोरों के विरुद्ध दर्ज हुए।

तालिका क्रमांक 1

विधि विवादित किशोरों के विरुद्ध भा0द0सं0 के अंतर्गत अपराध, वर्ष 2010–2015

वर्ष	पंजीकृत मामले		कुल संज्ञेय अपराधों में विधि विवादित बालकों का प्रतिशत
	विधि विवादित बालक (भा0द0सं0)	भा0द0सं0 के अंतर्गत कुल संज्ञेय अपराध	
2010	22740	2224831	1.0
2011	25125	2325575	1.1
2012	27936	2387188	1.2
2013	31725	2647722	1.2
2014	33526	2851563	1.2
2015	31396	2949400	1.1

स्त्रोत – एन.सी.आर.बी., क्राइम इन इंडिया 2015

तालिका क्रमांक.1 से स्पष्ट है कि वर्ष 2015 में भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत कुल संज्ञेय अपराधों के 2949400 मामले पंजीकृत हुए, जिनमें से विधि विवादित किशोरों के विरुद्ध 31396 प्रकरण दर्ज हुए। वर्ष 2010 से 2015 तक कुल भा0द0सं0 के अंतर्गत संज्ञेय अपराधों के प्रकरणों में निरन्तर वृद्धि हुई, जबकि विधि विवादित किशोरों के अपराधों में 2010 से 2014 तक लगातार वृद्धि देखी गई एवं 2015 में कुछ कमी आई। विधि विवादित किशोरों की संख्या में 2014 में 33526 रही जो 2015 में 6.3 प्रतिशत की दर से कम होकर 31396 रही।

नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरों की क्राइम इन इंडिया, 2015 के अनुसार किशोरो के विरुद्ध विरुद्ध कुल दर्ज प्रकरणों में सर्वाधिक अपराध चोरी (19.2 प्रतिशत), आपराधिक सेंधमारी (8.3 प्रतिशत), बलात्कार (5.4 प्रतिशत) एवं अपहरण एवं व्यपहरण (5.2 प्रतिशत) तथा रेश ड्रायविंग/रोडरेज (4.9 प्रतिशत) के रहे। भा0द0सं0 के अंतर्गत किशोरों के विरुद्ध दर्ज कुल अपराधों में उक्त वर्णित पांच अपराधों का हिस्सा 43 प्रतिशत रहा। मध्यप्रदेश (6320 प्रकरण), महाराष्ट्र (5482 प्रकरण), दिल्ली (2332 प्रकरण), राजस्थान (2126 प्रकरण), छत्तीसगढ़ (1788 प्रकरण), बिहार (1562 प्रकरण) एवं तमिलनाडु (1483 प्रकरण) आदि सात राज्यों में भा0द0सं0 के अन्तर्गत किशोरों के विरुद्ध सबसे अधिक प्रकरण दर्ज किए। देश भर में भा0द0सं0 के अंतर्गत कुल दर्ज प्रकरणों में इन सात राज्यों का हिस्सा 67 प्रतिशत रहा (31396 में से 21093 मामले)। वर्ष 2015 में महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश में हत्या के क्रमशः 128 मामले और 87 मामले किशोरों के विरुद्ध दर्ज हुए। वर्ष 2015 में किशोरों के विरुद्ध बलात्कार के सर्वाधिक मामले मध्यप्रदेश (282 मामले) दर्ज किए गये। इसके बाद महाराष्ट्र (247 मामले) एवं राजस्थान (166 मामले) रहे। संघ शासित प्रदेशों में दिल्ली में किशोरों के विरुद्ध वर्ष 2015 में 119 प्रकरण दर्ज किए गए। वर्ष 2015 में अपहरण एवं व्यपहरण के मामलों में भी मध्यप्रदेश का पहला स्थान रहा। यहाँ किशोरों के विरुद्ध अपहरण एवं व्यपहरण के अंतर्गत 299 प्रकरण दर्ज किए गये। इसके बाद बिहार (298 मामले) का स्थान रहा। देश भर में किशोरों के विरुद्ध अपहरण एवं व्यपहरण के 1630 प्रकरण दर्ज हुए। किशोरों के विरुद्ध चोरी के मामले में महाराष्ट्र में 1279 प्रकरण, दिल्ली में 669 प्रकरण, मध्यप्रदेश में 458 प्रकरण, तमिलनाडु में 432 प्रकरण, राजस्थान में 412 प्रकरण और आंध्रप्रदेश में 399 प्रकरण दर्ज हुए। किशोरों के विरुद्ध महिलाओं के लज्जा भंग (भां0द0सं0 354) के सर्वाधिक प्रकरण मध्यप्रदेश (364 प्रकरण) में दर्ज हुए। इसके बाद महाराष्ट्र (347 प्रकरण) एवं दिल्ली (142 प्रकरण) रहे।

किशोरों के विरुद्ध विशिष्ट एवं स्थानीय कानून के तहत दर्ज प्रकरण

नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की क्राइम इन इंडिया 2015 के अनुसार विशिष्ट एवं स्थानीय कानून के अंतर्गत वर्ष 2015 में 2037 मामले दर्ज हुए। उल्लेखनीय है कि किशोरों द्वारा इस प्रकार के अपराधों के पंजीकृत मामलों में 2014 की तुलना में 2015 में 59 प्रतिशत की कमी आई। वर्ष 2014 में 5039 प्रकरण दर्ज हुए थे।

नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की क्राइम इन इंडिया 2015 के अनुसार विशिष्ट एवं स्थानीय कानूनों के अंतर्गत किशोरों के विरुद्ध वर्ष 2015 में देश भर में कुल 2037 प्रकरण दर्ज हुए। जिसमें सर्वाधिक मामले तमिलनाडु (331 प्रकरण) में दर्ज हुए। इसके बाद मध्यप्रदेश (203 प्रकरण) केरल (221) एवं गुजरात (221 प्रकरण) एवं महाराष्ट्र (211 प्रकरण) रहे। इस के कुल प्रकरणों में इन पांच राज्यों का हिस्सा 61.2 प्रतिशत रहा।

नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरों की क्राइम इन इंडिया 2015 के अनुसार लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत वर्ष 2015 में देश भर में 460 प्रकरण दर्ज किए गए। इस संबंध में गुजरात में सर्वाधिक 84 प्रकरण दर्ज हुए। इसके बाद मध्यप्रदेश में 65 प्रकरण दर्ज हुए। गेम्बलिंग एक्ट के तहत् किशोरों के विरुद्ध मध्यप्रदेश में 79 प्रकरण एवं छत्तीसगढ़ में 41 प्रकरण दर्ज हुए। आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत किशोरों के

P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-IV* ISSUE-IV*December-2016
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

विरुद्ध कुल 187 प्रकरणों में से 46 प्रकरण संयुक्त रूप से बिहार एंव मध्य प्रदेश में दर्ज हुए।

विभिन्न कानूनों के तहत् पकड़े गए किशोर

नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरों के क्राइम इन इंडिया 2015 के अनुसार भारतीय दंड संहिता और विशिष्ट एंव स्थानीय कानूनों के अंतर्गत 41385 किशोरों को पकड़ा गया। जिसमें 40468 बालक एवं 917 बालिकाएं थीं। वर्ष 2015 में पकड़ी गई लड़कियो का प्रतिशत 2.2 रहा जबकि वर्ष 2014 में इनका प्रतिशत 3.3 था। इस प्रकार 2014 की तुलना में 2015 में पकड़ी गई बालिकाओं में 1.1 प्रतिशत की कमी देखी गई।

तालिका क्रमांक –2

भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत पकड़े गए किशोर (आयु एवं लिंग के अनुसार) वर्ष 2015

12 वर्ष से कम			12 वर्ष से अधिक–16 से कम			16 वर्ष से अधिक–18 वर्ष से कम			योग		कुल योग
बालक	बालिकाएं	योग	बालक	बालिकाएं	योग	बालक	बालिकाएं	योग	बालक	बालिकाएं	
513	38	551	10259	278	10537	27449	537	27986	38221	853	39074

स्त्रोत – एन.सी.आर.बी.,क्राइम इन इंडिया 2015

तालिका क्रमांक–2 से स्पष्ट होता है कि भा0द0सं0 के अन्तर्गत पकड़े गए कुल 39074 किशोरों में सर्वाधिक 16 वर्ष एवं उससे अधिक और 18 वर्ष कम आयु वर्ग के किशोर रहे एवं सबसे कम 12 वर्ष से कम आयु वर्ग के किशोर रहे।

तालिका क्रमांक –3

विशिष्ट एवं स्थानीय कानून के अंतर्गत पकड़े गए कुल किशोर (आयु एवं लिंग के अनुसार) वर्ष 2015

12 वर्ष से कम			12 वर्ष से अधिक–16 से कम			16 वर्ष से अधिक–18 वर्ष से कम			योग		कुल योग
बालक	बालिकाएं	योग	बालक	बालिकाएं	योग	बालक	बालिकाएं	योग	बालक	बालिकाएं	
44	7	51	488	27	515	1715	30	1745	2247	64	2311

स्त्रोत : एन.सी.आर.बी.,क्राइम इन इंडिया 2015

तालिका क्रमांक–2 से स्पष्ट है कि विशिष्ट एवं स्थानीय कानून के अंतर्गत पकड़े गए कुल किशोरों में से सर्वाधिक 16 वर्ष व उससे अधिक एवं 18 वर्ष से कम आयु वर्ग के किशोर रहे जबकि सबसे कम किशोर 12 वर्ष से कम आयु वर्ग के रहे।

तालिका क्रमांक –4

वर्ष 2015 में कुल पकड़े गए किशोरों (भा0द0सं0 एवं वि0स्था0का0 के तहत्) का शैक्षिक आधार पर वितरण

क्र0 सं0	शिक्षा का स्तर	कुल संख्या	प्रतिशत
1	अशिक्षित	4757	11.49
2	प्राइमरी	14229	34.38
3	प्राइमरी से अधिक किंतु मैट्रिक/हा0सै0 से कम	19056	46.04
4	मैट्रिक/हा0सै0से अधिक	3343	8.07
	कुल	**41385**	**100**

स्त्रोत : एन.सी.आर.बी., क्राइम इन इंडिया 2015

तालिका क्रमांक–4 से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2015 में सबसे अधिक (करीब 46 प्रतिशत) पकड़े गए किशोर प्राइमरी से अधिक पर मैट्रिक/हा0सै0 से कम शिक्षित थे।

तालिका क्रमांक –5

वर्ष 2015 में कुल पकड़े गए किशोरों (भा0द0सं0 एवं वि0स्था0का0 के तहत्) की पारिवारिक पृष्ठभूमि का वितरण

क्र0सं0	पारिवारिक पृष्ठभूमि	संख्या	प्रतिशत
1	माता–पिता के साथ	35448	85.65
2	अभिभावक के साथ	4315	10.42
3	गृहहीन	1622	3.91
	कुल	**41385**	**100**

स्त्रोत :– एन.सी.आर.बी., क्राइम इन इंडिया 2015

तालिका क्रमांक–5 से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2015 में पकड़े गए कुल किशोरों में से 85 प्रतिशत किशोर माता–पिता के पास रहने वाले थे।

तालिका क्रमांक –6

वर्ष 2015 में कुल पकड़े गए किशोरों (भा0द0सं0 एवं वि0 स्था0 का0 के तहत्) का परिवार की आय–समूह के आधार पर वितरण

क्र0 सं0	आय समूह वार्षिक	कुल संख्या	प्रतिशत
1	25000 रू0 तक	17543	42.38
2	25001 से 50000 रू0 तक	11695	28.25
3	50001 से 10000 रू0 तक	7982	19.28
4	100001 से 200000 रू0 तक	2757	6.66
	200001 से 300000 रू0 तक	951	2.29
	300001 से ऊपर	457	1.10
	कुल	**41385**	**100**

स्त्रोत : एन.सी.आर.बी. क्राइम इन इंडिया 2015

तालिका क्रमांक–6 से स्पष्ट है कि वर्ष 2015 में पकड़े गए किशोरों में सर्वाधिक (करीब 42 प्रतिशत) 25000 रू0 वार्षिक तक के आय समूह के थे एवं सबसे कम (करीब 1 प्रतिशत) 3000व1 रू0 वार्षिक आय समूह के थे।

तालिका क्रमांक – 7

वर्ष 2015 में कुल पकड़े गए किशोरों (भा0द0सं0 एवं वि0स्था0का0 के तहत) का प्रत्यावर्तिता के आधार पर वितरण

क्र0सं0	अपराधी प्रत्यावर्तिता	कुल संख्या	प्रतिशत
1	प्रथम बार	38877	93.93
2	पुराने	2508	6.06
	कुल	**41385**	

स्त्रोत : एन.सी.आर.बी., क्राइम इन इंडिया 2015

तालिका क्रमांक 7 से स्पष्ट है कि कुल 41385 पकड़े गए किशोरों में से 38877 किशोर प्रथम बार गए एवं 2508 किशोर पहले भी पकड़े जा चुके थे।

विधि विवादित किशोरों के आपराधिता के कारण

1. गत वर्षों में आर्थिक विकास के साथ नगरीकरण में वृद्वि हुई है। जिसके फलस्वरूप पारिवारिक विघटन, आवास की समस्यायें, मद्यपान जैसी अनेक समस्यायें उत्पन्न हुई है। नगरीय जीवन मंहगा एवं खर्चीला होने के कारण महिलाओं का घर की देहलीज से बाहर निकल कर नौकरी करना आम बात हो गयी है। आधुनिकता एवं पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव के कारण युवाओं में उच्छृंखलता की प्रवृत्ति निरन्तर बढती जा रही है जिससे किशोरों में अपराध करने की प्रवृत्ति में वृद्धि हुई है।[13]
2. औद्योगीकरण एवं नगरीकरण के कारण संयुक्त परिवारों का तेजी से विघटन हुआ है। आजीविका के लिये परिवार के सदस्य दूर–दूर तक बिखर गये। जिन्दगी की व्यस्तताओं के बीच माता–पिता के पास अपने बच्चों के लिए समय नही है। फलतः बच्चे अपने आपको उपेक्षित महसूस करते है वे कई बार असामाजिक कार्यो की ओर मुड़ जाते है।[14] विघटित परिवार, माता–पिता की ओर से उपेक्षा, आपराधिक परिवार, गरीबी, भीड़–भाड़ युक्त परिवार जैसी स्थितियों में रहने वाले बालक अपराध की ओर प्रवृत्त हो सकते है।[15]
3. मनुष्य की मनोदशा का उसके व्यवहार से धनिष्ठ संबन्ध होता है। मन और मस्तिष्क का व्यवहार से सीधा संबंध होता है। जहाँ भ्रष्ट एवं अनैतिक आचरण होते है वहाँ बालको की मनः स्थिति खराब हो जाती है। मानसिक हीनता और संवेगात्मक संधर्ष और अस्थिरता भी बाल अपराध में सहायक होते हैं।[16]
4. पुरानी कहावत है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन निवास करता है। मानवीय क्रियाओं के सुचारू संचालन के लिये तन एवं मन का ताल–मेल बहुत आवश्यक है। कुरूपता, पंगुता, भैंगापन मंदबुद्वि बीमारियों से उत्पन्न हीन भावना से बालक अपराधी बन सकता है।[17]
5. बच्चों पर सामुदायिक वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। आस पास के वातावरण के मामले में बच्चों पर ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में अधिक प्रभाव पड़ता है। यदि पड़ोस का वातावरण अस्वस्थ है तो यह बालक के व्यक्तित्व में रूकावट उत्पन्न कर सकता हैं। साथ ही सांस्कृतिक संघर्षो उत्पन्न करके और असामाजिक मूल्यों को बढ़ावा बच्चों को अपराध की ओर ढकेल सकते हैं। घनी जनसंख्या एवं मनोरंजन की अपर्याप्ता बच्चो की मूल प्राकृतिक प्रबल इच्छाओं को दबाती है और इन्हें अपराधी समूहों से जुड़ने के लिये प्रोत्साहित करती हैं।[18]
6. अश्लील चलचित्र और साहित्य जिनमें व्यभिचार, धूम्रमान, मदिरापान, और क्रूरता का चित्रण होता है, बालकों एवं किशोरों के अपरिपक्व मस्तिष्क पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। कई बार बालक इनसे अपराध के तरीके सीख लेता है।[19]

विधि विवादित किशोरों के उपचार के तरीके

विधि विवादित किशोरों के उपचार के लिय कई विधियों का उपयोग किया जा सकता है। उनमें प्रमुख निम्नवत हैं–

मनःचिकित्सा

भावात्मक एवं व्यक्तित्व संबंधी समस्याओं को मनःचिकित्सा के माध्यम से उपचारित किया जा सकता है। इसमें अभियोगार्थी के बीते हुए जीवन में आये महत्वपूर्ण व्यक्तियों के प्रति अभिवृत्तियों एवं भावनाओं को बदला जाता है।[20]

यथार्थ चिकित्सा

यह चिकित्सा इस बात पर आधारित है कि जो व्यक्ति अपनी मूल आवश्यकतायें पूरी नही कर पाते वे फिर गैर जिम्मेदार तरीके से करते है। इस चिकित्सा में व्यक्ति को जिम्मेदार तरीके से कार्य करने में सहायता प्रदान की जाती है। इसमें बच्चे को जिम्मेदार माना जाता है न कि अभागा।[21]

व्यवहार चिकित्सा

इसमें सीखे हुए व्यवहार में नई सीखने की प्रक्रियाओं का विकास कर परिर्वतन किया जाता है। इसमें नकारात्मक व्यवहार को कम या विलुप्त कर देते हैं। जबकि सकारात्मक व्यवहार को बनाये रखते है या बढाते है। इसके लिए नकारात्मक या सकारात्मक प्रभावों के द्वारा अर्थात दण्ड या पुरस्कारों द्वारा व्यक्ति के व्यवहारों को बदला जाता है।[22]

क्रिया चिकित्या

कई बालको में परम्परागत व्यक्तिगत अथवा सामूहिक स्थिति में प्रभावी तरीखे से वार्तालाप करने के लिये मौखिक क्षमता नहीं होती। इसमें 6 से 8 वर्ष के बच्चों का समूह बनाकर एक समय और एक स्थान पर स्वच्छ बातावरण में इच्छानुसार समय व्यतीत करने दिया जाता है। स्नायु रोग से ग्रसित बालक स्वच्छंद या अनुज्ञात्मक वातावरण में निर्मुक्त अनुभव करता है। जिससे बालक को उसकी दबी भावनाओं से मुक्ति मिलती है।[23]

परिवेश चिकित्सा

ऐसे वातावरण को निर्मित करने का प्रयास किया जाता है जो अर्थपूर्ण परिवर्तन और संतोषजनक समायोजन

में सहायता करे। इसमें उन व्यक्तियों का उपचार किया जाता है जिनका विचलित व्यवहार प्रतिकूल परिस्थितियों की वजह से प्रतिक्रिया स्वरूप होता है।[24]

सुधार एवं पुर्नवास की प्रमुख संस्थायें

भारत में बालकों को अपराधों से दूर रखने, रोकथाम एवं सुधार के लिये अनेक महत्वपूर्ण प्रयास किये गये है। डा0 बुइस्ट द्वारा बर्ष 1883 में बम्बई (मुम्बई) में सर्वप्रथम बाल अपराधियों के लिये सुधारात्मक स्कूल खोला गया था। अपराधी प्रक्रिया संहिता की धारा 311(1) इस दिशा में पहला कदम है जो यह आदेश देता है कि किसी 15 वर्ष से कम आयु के बाल अपराधी को न्यायालय किसी सुधारात्मक संस्था में भेज सकता है जहाँ अनुशासन के साथ कोई उपयोगी दस्तकारी भी सिखाई जाती है।[25]

भारत में बाल अपराधियों को सुधारने के लिए अनेक संस्थाओं का गठन किया गया है उनमें से प्रमुख निम्नवत् हैं।

I. **बोर्स्टल स्कूल**

1962 में भारत में से सबसे पहले तमिलनाडु में स्थापित किया गया । इसमें 15 वर्ष से 21 वर्ष के बच्चे रखे जाते है जहाँ विभिन्न व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण की व्यवस्था रहती है।[26]

II. **सुधार अथवा रिफॉर्मेटरी स्कूल**

वर्ष 1897 में रिफार्मेटरी स्कूल एक्ट सभी बड़े राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों में लागू किया गया था। इसमें 15 वर्ष तक के बच्चों को रखा जाता था।[27]

III. **रिमाण्ड होम**

बाल अपराधियों के मामले की सुनवाई और जाँच पड़ताल के समय इन्हीं सदनो में रखा जाता है ताकि उन पर अपराधियों का बुरा प्रभाव न पड़े।[28]

IV. **प्रमाणित विद्यालय**

प्रमाणित विद्यालय भी बाल अपराधियों के सुधार की एक महत्वपूर्ण संस्था है। इस विद्यालय में बालकों में उन बालकों को रखा जाता है, जो तिरस्कृत होता है या निराश्रित होता है।[29]

इन विद्यालयों में साधारण शिक्षा के साथ औद्योगिक प्रशिक्षण (जैसे कारपेंटरी, दरी बुनना, कताई–बुनाई, कपड़े धोना, जिल्दसाजी, मधुमक्खीपालन, कढ़ाई, संगीत, राजगीरी एवं कृषि संबन्धि प्रशिक्षण) की भी व्यवस्था होती है।[30,]

V. **फोस्टर होम**

यदि कोई सम्मानित परिवार किसी अपचारी या विधि विवादित बालकों की जिम्मेदारी वहन करने को तैयार एवं इच्छुक हो तो न्यायालयों की अनुमति से इन्हें संबंधित परिवारों को सौंपा जा सकता है। यहाँ ये बालक पारिवारिक वातावरण में पलते है।[31]

निष्कर्ष

वर्तमान में किशोर आपराधिता एक गंभीर समस्या बनी हुई है। सरकार ने इस दिशा में कई कानून पारित किए हैं, पर अभी स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं है। किशोरो द्वारा छोटे–मोटे अपराधों के साथ हत्या, बलात्कार, अपहरण जैसे जघन्य अपराध भी कारित किए जा रहे हैं। आयु, लिंग, शैक्षणिक स्तर, पारिवारिक पृष्ठभूमि, आर्थिक दशा, एवं प्रत्यावर्तिता के आधार पर पकड़े गए किशोरों की संख्या में भिन्नता देखी गई है। किशोर आपराधिता के पीछे कई कारण हैं। उनमें नगरीकरण एवं औद्योगीकरण की दशाएं, आवासीय समस्या, मद्यपान, पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव, पारिवारिक विघटन, आपराधिक परिवार, गरीबी, मनोदशा, शारीरिक दोष, सामुदायिक वातावरण प्रमुख हैं। विधि विवादित किशोरों को कई तरीकों से उपचारित किया जा सकता है। उनमें से मनः चिकित्सा, यथार्थ चिकित्सा, व्यवहार चिकित्सा, क्रिया चिकित्सा एवं परिवेश चिकित्सा प्रमुख हैं। इसके साथ विभिन्न सुधार एवं पुनर्वास संस्थाएं भी उल्लेखनीय रूप से कार्य कर रहीं हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. चौहान, एम0 एस0 (2012) 'अपराधशास्त्र दण्ड प्रशासन एवं पीड़ितशास्त्र' सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी, इलाहाबाद, पृ0 157
2. परांजपे, डॉ0 ना0 वि0 (2011) 'अपराधशास्त्र एवं दण्ड प्रशासन' सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन्स, इलाहाबाद, पृ0 442
3. चौहान, एम0 एस0 (2012) 'अपराधशास्त्र, दण्ड प्रशासन एवं पीड़ित शास्त्र' सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी, इलाहाबाद, पृ0 157
4. महाजन,डॉ0 धर्मवीर एवं महाजन, डॉ0 कमलेश (2013) 'अपराधशास्त्र' विवेक प्रकशन, दिल्ली, पृ0 103
5. परांजये डॉ0 ना0 वि0 (2011) 'अपराधशास्त्र एवं दण्ड प्रशासन' सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन, इलाहाबाद, पृ0 443
6. वही
7. चतुर्वेदी, डॉ0 मुरलीधर (2009) ' अपराधशास्त्र एवं दण्ड–शास्त्र' इलाहाबाद लॉ एजेन्सी पब्लिकेशन्स, इलाहाबाद, पृ0 131
8. वही, पृ0 131–132
9. चौहान, एम0 एस0 (2012) 'अपराधशास्त्र, दण्ड प्रशासन एवं पीड़ित शास्त्र' सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी, इलाहाबाद, पृ0 160
10. परांजपे, डॉ0 ना0 वि0 (2011) 'अपराधशास्त्र एवं दण्ड प्रशासन' सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन्स, इलाहाबाद, पृ0 455'
11. महाजन,डॉ0 धर्मवीर एवं महाजन,डॉ0 कमलेश (2013) 'अपराधशास्त्र' विवेक प्रकाशन, दिल्ली, पृ0 121
12. चौहान, एम0 एस0 (2012) 'अपराधशास्त्र, दण्ड प्रशासन एवं पीड़ितशास्त्र' सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी, इलाहाबाद, पृ0 161–162
13. परांजपे, डॉ0 ना0 वि0 (2011) 'अपराधशास्त्र एवं दण्ड प्रशासन' सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन्स, इलाहाबाद, पृ0 446–447
14. वही, पृ0 447
15. चौहान, एम0 एस0 (2012) 'अपराधशास्त्र, दण्ड प्रशासन एवं पीड़ितशास्त्र सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी, इलाहाबाद, पृ0 175–176
16. वही, पृ0 177
17. वही, पृ0 176
18. आहूजा, राम (2016) 'सामाजिक समस्याएं' रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर, पृ0 331
19. वही, पृ0 331

20. वही, पृ0 334
21. वही, पृ0 335
22. वही, पृ0 335
23. वही, पृ0 335
24. वही, पृ0 336
25. महाजन,डॉ0 धर्मवीर एवं महाजन डॉ0 कमलेश (2013)' अपराधशास्त्र' विवेक प्रकाशन, दिल्ली, पृ0 132
26. वही, पृ0 133
27. वही, पृ0 133
28. वही, पृ0 134
29. बघेल, डॉ0 डी0 एस0 (2015) 'अपराधशास्त्र' विवेक प्रकाशन, दिल्ली, पृ0 399
30. महाजन, डॉ0 धर्मवीर एवं महाजन, डॉ0 कमलेशन (2013) 'अपराधशास्त्र' विवेक प्रकाश, दिल्ली, पृ0 134
31. वही, पृ0 134